UPUN010032942026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1387/2026

बच्चूलाल उम्र करीब 72 वर्ष पुत्र सुन्दरलाल निवासी रूरी सादिकपुर थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव।

–––अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल, उन्नाव। –––विपक्षी।

09.06.2026

अभियुक्त बच्चूलाल द्वारा अपराध संख्या–556 सन 2024, धारा–471,468,467,420,419,120बी भा0दं0सं0, थाना कोतवाली बांगरमऊ, ज़िला उन्नाव में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी श्यामलाल द्वारा पुलिस अधीक्षक उन्नाव को सम्बोधित प्रार्थना पत्र के अनुसार उसकी जमीन गाटा सं0 2क एवं 3ख रक्बा 0.0880 है जो कि संडीला रोड पर स्वर्गीय छेदा पुत्र धनई (धनीराम) के नाम अंकित थी। बीते कुछ समय किसी ने उस जमीन पर ध्यान न दे पाने की वजह से भू माफियों ने छेदा जिनकी दि0 06.08.2015 को मृत्यु हो चुकी है, के नाम पर नकली छेदा बनाकर दि0 31.03.2023 को राजेश कुमार रस्-तोगी के नाम पर फर्जी बैनामा करा दिया और कब्जा व दाखिल–खारिज भी हो गया फिर उसके कुछ महीनों में दोबारा बैनामा दि0 12.06.2023 को अनिल कुमार रस्तोगी के नाम करा कर दाखिल खारिज भी करा दिया। इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग शामिल हैं, सभी पर कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र में यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है, महेज रंजिशन हैरान व परेशान करने की नीयत से झूंठा फॅसा दिया गया है। वह सभ्रान्त व्यक्ति है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्तगण अनिल कुमार, राजेश रस्तोगी, अवधेश कुमार व नरेन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। उसका केस भी समानान्तर का है। वह अग्रिम जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं करेगा। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अथवा जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी सत्र न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो दिया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए उसे निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से राय–मशविरा करके फर्जी दर्ज करा दी गयी है। छेदा पुत्र धनई ने अपनी आराजी का बैनामा राजेश कुमार रस्तोगी के हक में दिनांक 31.03.2023 को पंजीकृत किया था। इस विक्रय प्रलेख के गवाहान अवधेश कुमार व नरेन्द्र सिंह हैं तथा इस

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.09 17:07:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

आराजी का दाखिल खारिज भी हो चुका है। यह बैनामा व सम्पूर्ण कागजात देखकर उसने क्रय किया। कुछ दबंगों द्वारा कथित भूमि को लिये जाने की बात चल रही थी लेकिन छेदा ने जमीन उन्हे नहीं दी। इस बात से दबंग व भूमाफिया लोग नाराज रहने लगे और उसको परेशान करने लगे। जब भूमाफियाओं को पता चला कि कथित आराजी को उसने क्रय कर लिया है, तब श्यामलाल नाम के फर्जी आदमी को खड़ा करके एफ0आई0आर0 करा दिया। एफ0आई0आर0 से पूर्व पुलिस के समक्ष एक सुलहनामा भी दाखिल हुआ, फिर भी एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गयी। दौरान विवेचना प्रधान श्रीमती संगीता वर्मा ग्राम सभा सहदानी जिला उन्नाव भी दर्ज किया गया। उसने कोई फर्जी कार्य नहीं किया है, न ही उसके द्वारा कोई कथित बैनामा किया गया है।

अभियोजन का तर्क है कि दि0 31.03.2023 को गाटा सं0 2क एवं 3ख रक्बा 0.0880 हे0 के मूल स्वामी (दि0 06.08.2015 को मृतक) छेदा के स्थान पर सह–अभियुक्त राजेश रस्तोगी ने पैसा देकर वर्तमान अभियुक्त बच्चूलाल को नकली छेदा बनाकर गवाहान अवधेश कुमार, नारेन्द्र सिंह की मिलीभगत से जमीन अपने नाम करा ली तथा उसका दाखिल खारिज करा लिया और उसके बाद उक्त जमीन का बैनामा अपने सगे साले अनिल कुमार रस्तोगी के नाम कर दिया था। केस डायरी के पर्चा नं0 3 पर अंकित बयान में वादी मुकदमा श्यामलाल ने एफ0आई0आर0 के तथ्यों की पुष्टि की है तथा उक्त तथ्यों का समर्थन केस डायरी के पर्चा नं0 10 पर अंकित गवाह अनुपम राठौर, केस डायरी के पर्चा नं0 14 पर अंकित बयान मजीद वादी, राहुल पुत्र श्यामलाल वादी, केस डायरी के पर्चा नं0 16 पर अंकित गवाह मुंशीलाल राठौर, गवाह राजकुमार, इन्द्रीश, विजयपाल, केस डायरी के पर्चा नं0 17 पर अंकित गवाह नेकराम, छोटेलाल, गवाह रामसहाय, केस डायरी के पर्चा नं0 18 पर अंकित ग्रामवासी ब्रम्हा, शिवराम, दयावती, उद्दन के बयान से होता है। इसी पर्चे पर अभियुक्त बच्चूलाल के ग्राम रूरी सादिकपुर के निवासी विजय बहादुर सिंह, जुगलकिशोर, प्रभू ने नकली छेदा की पहचान अपने गांव के बच्चूलाल पुत्र सुन्दरलाल के रूप में की है। केस डायरी के पर्चा नं0 25 के क्रम सं0 1 पर अंकित विवरण के अनुसार अभियुक्त विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को बिना कारण गिरफ्तार किये जाने की संभावना नहीं है।

मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और अभियुक्त की भूमिका पर विचार कर अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का संतोषजनक आधार नही है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बच्चूलाल द्वारा अपराध संख्या–556 सन 2024, धारा–471,468,467,420,419,120बी भा0दं0सं0, थाना कोतवाली बांगरमऊ, ज़िला उन्नाव में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1387/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–09.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय